

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर रायसिंहनगर

दिनांक - 11.10.25

क्रमांक- 47

आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी कुमलावा नायब तहसीलदार
भू.अ.नि. कुमलावा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार को रिपोर्ट तथा तहसीलदार
कुमलावा की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान वू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 139 के
अनुसार में ग्राम 8MK तहसील रामसिंहनगर जिला भीरोगानगर को जमाबंदी
सम्बत 2076-2079 में खाता संख्या 87 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से
शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दशमद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि व शुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जायेगी)
01	चक-8MK	87	रघुवीर पुत्र रामसिंह जाति किशोर्दे सा. कुमलावा खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा 32ML	रघुवीर पुत्र रामसिंह जाति किशोर्दे सा. कुमलावा खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) PHB शाखा 32ML

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
रायसिंहनगर

दिनांक - 11.10.25

क्रमांक- 47

1. तहसीलदार रसमक को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दशमद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री रघुवीर शो. रामसिंह को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

